अनुदान संख्या 7 – रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
GRANT No. 7–DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	748,78,00		758,95,00	709,45,85	–49,49,15
पूरक	Supplementary	10,17,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					41,56,89
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	164,47,00		174,48,00	72,07,00	–102,41,00
पूरक	Supplementary	10,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					92,24,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (4949.15 लाख रु.) दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए 1017.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4949.15 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.1017.00 lakhs obtained in December, 2005 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552''	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	830.00	. .	–830.00

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	73329.00			
पू.	S.	1017.00	70239.09	70270.53	+31.44
पु.	R.	–4106.91			

(I) 831.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 830.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत विभाग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा के लिए किसी अनुमोदित स्कीम का प्रतिपादन न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.831.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.830.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Lumpsum Provision for North Eastern Region and Sikkim" - due to non-formulation of any approved scheme for North Eastern Region by the Department.

(II) मुख्य शीर्ष "2852'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads:-

(का) "पेट्रो रसायन उद्योग - अन्य व्यय - केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान'' के अंतर्गत 3842.00 लाख रु. की बचत (4930.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान को कर्ज के रूप में बाह्य सहायता के तौर पर सहायता अनुदान प्रदान किए जाने का निर्णय लिए जाने के कारण हुई।

(A) "Petro-Chemical Industries – Other Expenditure - Central Institute of Plastics Engineering and Technology" - saving of Rs.3842.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4930.00 lakhs) was due to decision to provide grants-in-aid to CIPET as external assistance in the form of loan.

(खा) "रासायनिक और औषधीय उद्योग - रसायन तथा कीटनाशी - कीटनाशक प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान''- 263.20 लाख रु. की बचत (333.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहले जारी की गई राशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रा प्रस्तुत न किए जाने की वजह से कम राशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Chemicals and Pharmaceuticals Industries– Chemicals and Pesticides - Grant to Institute of Pesticides Formulation Technology" – saving of Rs.263.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.333.00 lakhs) was due to less release owing to non-furnishing of utilisation certificates for the earlier releases.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 133.72 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत और 73 प्रतिशत थीं।

(III) Under two heads savings of Rs.133.72 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 17 percent and 73 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (10241.00 लाख रु.) दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1001.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 59 प्रतिशत थीं।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.10241.00 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1001.00 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006 and constituted 59 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष '6857'' रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू.	O.	16298.00			
पू.	S.	1000.00	8075.00	7058.00	–1017.00
पु.	R.	–9223.00			

(I) 310.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 309.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष '6857'' - ''दवा तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड'' के अंतर्गत कंपनी के परिसमापन प्रक्रिया के अधीन होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.310.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.309.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6857" - "Drugs and Pharmaceuticals Industries – Loans to Public Sector and other Undertakings – Smith Stainstreet Pharmaceuticals Limited" – due to company being under the liquidation process.

(II) मुख्य शीर्ष '6857'' - ''दवा तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज– बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड'' के अंतर्गत 169.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1169.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो कंपनी के परिसमापनाधीन प्रक्रिया में होने के कारण 169.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "6857" - "Drugs and Pharmaceuticals Industries - Loans to Public Sector and other Undertakings - Bengal Immunity Limited" - the original provision of Rs.169.00 lakhs was augmented to Rs.1169.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.169.00 lakhs - due to company being under the liquidation process.

(III) मुख्य शीर्ष '6857'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(III) Under Major Head "6857" - savings also occurred under the following heads:-

(का) ''रसायन तथा कीटनाशक उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिंदुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड''- 5145.00 लाख रु. की बचत (5900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली फैक्टरी को स्थानांतरित किए जाने की वजह से कार्यशील पूंजी की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने और संशोधित अनुमानों में कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''दवा तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज''-

(क) ''इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड''- 720.00 लाख रु. की बचत (1420.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनी के अपनी आय से व्यय को पूरा करने के कारण हुई।

(ख) ''हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड''-3270.00 लाख रु. की बचत (6300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्वास पैकेज का विलंब से अनुमोदन किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड''- 527.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

(A) "Chemicals and Pesticides Industries - Loans to Public Sector and other Undertakings - Hindustan Insecticides Limited" - saving of Rs.5145.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5900.00 lakhs) was due to non-approval of the competent authority for compensation of loss of working capital owing to shifting of Delhi Factory and cut imposed in the revised estimates stage.

(B) "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and other Undertakings"–

(a) "Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited"- saving of Rs.720.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1420.00 lakhs) was due to company meeting out the expenditure from its own earnings.

(b) "Hindustan Antibiotics Limited" - saving of Rs.3270.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6300.00 lakhs) was due to late approval of the rehabilitation package by the Cabinet.

(c) "Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited" - saving of Rs.527.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of the Cabinet.

(IV) Under one head saving of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.